राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 01/2022 जीसीएमसए नम्बर :– 2022/16

1. झाबरमल पुत्र रामू उम्र 61 वर्ष
2. राजपाल पुत्र रामू उम्र 48 वर्ष
3. प्रेमदेवी पत्नि औमप्रकाश उम्र 60 वर्ष
4. सुनिल पुत्र औमप्रकाश उम्र 32 वर्ष

} जातिगण अहीर निवासी माजरी तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज.

.... वादीगण

– बनाम –

1. कंवरसिंह पुत्र मातादीन उम्र 70 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. शिवराम पुत्र मातादीन उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर एवं भू–अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

दावा –घोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा,एवं खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.कास्त.अधि.

उपस्थिति –
1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादी की ओर से ।
2. श्री जगदेव यादव अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 व 2 की ओर से ।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: –29–11–2022

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र पेश किया गया कि –
यह कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 402 रकबा 0.22 है. का खातेदार वादीगण का हकपूर्वाधिकारी रामू पुत्र पना हिस्सा 1/2 था एवं 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं इनके भाई थे इनके भाई खेमचन्द एवं शीशराम अविवाहित है जिनसे उनका हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने हकत्याग करवा लेना बताया है इस प्रकार इस भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार वादीगण का हक[illegible] 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व 2 है। रामू के तीन पुत्र है वादी सं. 1 [illegible] है एवं एक पुत्र औमप्रकाश की रामू के जीवन काल मे सन् 1995 में [illegible] सन् 2000 के लगभग हुई है। इस प्रकार रामू के वादी सं. 1 व 2 [illegible] औमप्रकाश [illegible] ही उत्तराधिकारी थे वादी सं. 3 व 4 मृतक औमप्रकाश की पत्नि व पुत्र है [illegible] भूमि मे वादी सं. 1 [illegible] /6 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा है तथा वादी सं. 4 व 5 [illegible] 1/6 हिस्सा है वादी[illegible] व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

2 की माता सुरजी देवी की मृत्यु हो चुकी है वादी सं. 1 व 2 एवं वादी सं. 3 व 4 उसके विधिक उत्तराधिकारी है। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि ख.न. 402 रकबा 0.22 है. मे वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है

2. यह कि वाद वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का 1/6 वादी सं. 2 का 1/6 एवं वादी सं. 3 व 4 का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 व प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा है। यह भूमि संयुक्त खातेदारी की है रामू की मृत्यु के बाद इस भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ उसमें वादी सं. 1 व 2 एवं वादी सं. 3 व 4 एवं मृतक सुरजी देवी पत्नि रामू के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया उसके बाद जब सेग्रीगेशन की कार्यवाही हुई तो राजस्व कर्मचारीयों ने भूल व लापरवाही से एक नया नाम प्रकाश पुत्र औमप्रकाश दर्ज कर दिया तथा वादी सं. 1 का 1/6 के स्थान पर 1/12 वादी सं. 2 का 1/6 के स्थान पर 1/12 एवं वादी सं. 3 का 1/12 वादी सं. 4 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर कर दिया जबकि प्रकाश पुत्र औमप्रकाश रामू का कोई वारीस उत्तराधिकारी नही था तथा पिता व पुत्र का एक ही नाम कभी नही होता है अर्थात प्रकाश पुत्र औमप्रकाश राजस्व कर्मचारीयों ने गलत दर्ज कर दिया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। एवं वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा है। वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा है जो गलत रूप से 1/12 – 1/12 दर्ज कर दिया है वह भी दुरूस्ती योग्य है।

3. यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का इस भूमि में 1/4 – 1/4 हिस्सा कुल हिस्सा 1/2 हिस्सा है। यह कृषि भूमि अविभाजित है इसके विभाजन के बिना इसके किसी भी भाग पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कब्जा करने निर्माण करने या इसके विशिष्ट भाग पर अतिक्रमण करने का हक एवं अधिकार नही है। क्योकि अविभाजित कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने बिना कनर्वजन के उसमें निर्माण करने या उसके विशिष्ट भाग पर कब्जा करने का किसी भी संयुक्त खातेदार को अधिकार नही है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 व 2 का भूमि ख.न. 402 रकबा 0.22 है. के किसी भी भाग पर निर्माण करने या अतिक्रमण करने का हक व अधिकार नही है।

4. यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने 3–4 दिन पूर्व नाजायज संगठन बनाकर वादीगण की भूमि ख.न. 402 रकबा 0.22 है. में बिना विभाजन बिना कनर्वजन के निर्माण करने की नियत से नीव खेदना शुरू किया तो वादीगण ने मना किया एंव प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जिस पर वादीगण ने पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण की अविभाजित कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है व निर्माण करने की भी धमकी दी है इसलिये वादीगण के लिये अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वाद वर्णित भूमि ख.न. 402 रकबा 0.22 है. में वादीगण का 1/2 हिस्सा है अर्थात वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 3 व 4 का 1/6 हिस्सा है। जिसका वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा प्रकाश पुत्र औमप्रकाश राजस्व कर्मचारीयों ने गलत दर्ज करते हुये वादी सं. 1 को 1/6 के स्थान पर 1/12 एवं वादी सं. 2 का 1/6 के स्थान पर 1/12 हिस्सा गलत दर्ज किया है तथा वादी सं. 1 व 2 की माता व वादी सं. 3 की सास व वादी सं. 4 की दादी सुरजी की मृत्यु होने पर अब इस भूमि में वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा वादी सं. 2 का 1/6 एवं वादी सं. 3 व 4 का 1/6 हिस्सा है अर्थात वादीगण का कुल 1/2 हिस्सा होने एवं उनके हिस्से गलत दर्ज होने एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जबरन निर्माण करने की धमकी देने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्याकंन नही किया जा सकता है। इसलिए वादीगण [illegible] दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि दावा के लिए आधार विवाद [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व [illegible] द्वारा वाद वर्णित भूमि में जबरन निर्माण करने की धमकी देने एंव कोशिश करने [illegible] रिकार्ड में प्रकाश पुत्र औमप्रकाश का नाम दर्ज कर देने एवं वादीगण सं. 1 व 2 को हिस्सा [illegible] 6 – 1/6 की अपेक्षा 1/12 –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चोहान)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं
जिला झुंझुनूं (राज.)

1/12 दर्ज होने एवं वादीगण की माता सुरजी देवी की मृत्यु होने के बाद भी उनका नाम दर्ज रहने व वादीगण ही उसके वारीस/उतराधिकारी होने एवं वादीगण के 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ 1/2 हिस्सा संयुक्त रहने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी की हदूद में है इसलिए यह दावा सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
8. यह कि प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर हैं इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए एक रूपया एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए एक रूपया नियत है तथा रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन के लिये भी एक- एक रूपया कोर्ट फीस नियत है इसलिए यह दावा कुल चार रूपये कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान जी की सेवामें पेश है।
10. यह कि वादवर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश है तथा वादपत्र मय शपथपत्र दोहरी प्रति में पेश है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि

(A). कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि हाल ख.नं. 402 रकबा 0.22 हैक्टेयर में वादी सं. 1 को 1/6, वादी सं. 2 को 1/6 एवं वादी सं. 3 व 4 को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित कर इस भूमि की खातेदारी से प्रकाश पुत्र औमप्रकाश एवं सुरजी पत्नि रामू का नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की कृपा करे।

(B). कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झून राज. स्थित भूमि ख.न. 402 रकबा 0.22 है. में वादी सं. 1 के 1/6, वादी सं. 2 के 1/6 वादी सं. 3 व 4 के 1/6 हिस्सा कुल 1/2 हिस्सा का खाता प्रतिवादी सं. 1 व 2 के 1/2 हिस्सा से सीमाकंन एवं मापन कर अलग विभाजित कर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे

(C). कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 402 रकबा 0.22 है. के किसी भी भाग में बिना विभाजन एवं बिना कनवर्जन के किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही करे किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री नही डाले नीव आदि नही खेदे एवं वादीगण के 1/2 हिस्सा के उपयोग - उपभोग मे बाधा कारित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवायें इस भूमि को खुर्द बुर्द नही करे।

(D). कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो एवं वादी उसकी वाजिब हकदार हो वादिया को दिलाये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रति. सं. 1 व 2 से श्री जगदेव यादव, अधिवक्ता- जिन्होने प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा इन तथ्यो के साथ पेश किया -

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 स्वीकार हैं।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 स्वीकार हैं।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 आंशिक रूप स्वीकार है वादग्रस्त भूमी ख.न. 402 रकबा 0.22 हैक्टर में प्रतिवादी स.1 व 2 का 1/2 हिस्सा हैं तथा 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज हैं लेकिन वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रामूराम ने अपना 1/2 हिस्सा जोखीराम पुत्र श्री कालुराम जाति अहीर निवासी माजरी को उसकी बसावत की भूमी के बदले में दिनांक 18.12.1989 को दे दिया था। सन् 1989 से अब तक रामुराम के 1/2 हिस्से की भूमी पर उक्त जोखीराम का तथा जोखीराम की मृत्यु के बाद उनके वारीसान का कब्जा चला आ रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 गलत होने से अस्वीकार हैं वादीगण तथा प्रतिवादीगण की उक्त भूमी का बाहमी बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारीयो द्वारा ही कर लिया था तो प्रतिवादी स.1 व 2 अपने 1/2 हिस्से की भूमी पर करीब 30 वर्ष से पूर्व से काबिज कास्त हैं तथा 1/2 हिस्से की भूमी पर जोखीराम के वारीसान काबिज कास्त हैं वादीगण का उक्त भूमी पर कब्जा नही हैं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमी पर कोई निर्माण कार्य नही किया हैं और न ही कभी वादीगण से झगड़ा किया हैं।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 आंशिक रूप से स्वीकार हैं । शेष गलत होने से अस्वीकार हैं वाद वर्णित भूमी में वादीगण का रिकॉर्ड में हिस्सा गलत दर्ज होना स्वीकार हैं वादीगण अपना हिस्सा दुरूस्त करवाये तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अगर जोखीराम के वारीसान आपत्ति करे तो कर सकते हैं क्योकि उक्त भूमी पर करीब 30 – 35 वर्ष से जोखीराम के वारीसान काबिज कास्त हैं प्रतिवादीगण उक्त भूमी पर कोई निर्माण कार्य न कर रहे हैं तथा न ही निर्माण करने की धमकी दी हैं इसलिए अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही नही हैं।

6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 गलत होने से अस्वीकार हैं जब प्रतिवादीगण ने कोई धमकी नही दी तथा न ही कोई निर्माण कार्य किया तो दावे के लिए आधार विवाद ही पैदा नही हुआ। अतः दावा खारीज होने योग्य हैं।

7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

8. यह कि वाद पत्र का खण न. 8 स्वीकार हैं।

9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 स्वीकार हैं।

10. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 10 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।

अनुतोष अस्वीकार हैं।

प्रतिदावा (काउन्टर क्लेम)

11. यह कि वाके ग्राम माजरी स्थित भूमी खाता स. 25 के ख.न. 402 रकबा 0.22 हैक्टर में प्रतिवादी स.1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 2 का 1/4 हिस्सा जमाबन्दी सवंत् 2075 से 2078 में दर्ज रिकॉर्ड हैं यानि उक्त भूमी में 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी स.1 व 2 काबिज कास्त हैं प्रतिवादी स.1 व 2 के हिस्से में बाहमी बंटवारे में ख.न. 402 के उतरी तरफ का आधा हिस्सा बंटवारे में आया हुआ हैं।

12. यह कि प्रतिवादी स.1 व 2 अपने 1/2 हिस्से की भूमी का भूमि सुधार कर सके व तारबाड़ कर सके। इसलिए अपने हिस्से की भूमी का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए यह प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

13. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वादीगण द्वारा खाता विभाजन का दावा पेश करने से पैदा हुआ है। अतः दावा सावधि पेश हैं।

14. यह कि विवादित भूमी वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना में स्थित है। जो न्यायायल श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे है। अतः दावा की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

15. यह कि राज. कास्त. अधि. में खाता विभाजन हेतु 1/–रू. कोर्ट फीस पर दावा पेश करना नियत हैं अतः 1/– रू. कोर्ट फीय पर दावा पेश हैं।

अतः जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क) कि वाके ग्राम माजरी स्थित भूमी खाता स. 25 के ख.न. 402 रकबा 0.22 हैक्टर मे प्रतिवादी स. 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 2 का 1/4 हिस्सा खाता अलग से कायम किया जावे।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो अयाचित रह गये हो दिलवाया जावे।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.07.2022 को किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 11.11.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

— :: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी खसरा न.402 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। (2) उभय पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विभाजन में प्राप्त होने वाले रकबे/खसरा नम्बरो में एक दुसरे के कब्जेकास्त में किसी प्रकार दखलदांजी नही करे और ना ही एक दुसरे के के खसरो नम्बरो में किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही । एक–दुसरे के हिस्सा के उपयोग – उपभोग मे बाधा कारित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवायें । (1) तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29–11–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–
सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 01/2022
जीसीएमसए नम्बर :–2022/16

1. झाबरमल पुत्र रामू उम्र 61 वर्ष
2. राजपाल पुत्र रामू उम्र 48 वर्ष
3. प्रेमदेवी पत्नि औमप्रकाश उम्र 60 वर्ष
4. सुनिल पुत्र औमप्रकाश उम्र 32 वर्ष

} जातिगण अहीर निवासी माजरी तह. बुहाना जि. झुन्झुनू राज.

.... वादीगण

– ब ना म –

1. कंवरसिंह पुत्र मातादीन उम्र 70 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. शिवराम पुत्र मातादीन उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर एवं भू–अभिलेख बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... प्रतिवादीगण

दावा –घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा, एवं खाता विभाजन।
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.कास्त.अधि.

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं श्री **जगदेव यादव,** अधिवक्ता– प्रति. सं. 1 व 2 की उपस्थित इस वाद में आज तारीख 29–11–2022 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी खसरा न.402 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। (2) उभय पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विभाजन में प्राप्त होने वाले रकबे/खसरा नम्बरो में एक दुसरे के कब्जेकास्त में किसी प्रकार दखलदांजी नही करे और ना ही एक दुसरे के के खसरो नम्बरो में किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नही । एक–दुसरे के हिस्सा के उपयोग – उपभोग मे बाधा कारित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवायें । (1) तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना